न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर, चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 65/2025 दिनांक :– 11-6-2025

1. पुसाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... प्रार्थी ...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान

... अप्रार्थी .....

1. पूर्णाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. रामकरण पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

.. गौंणअप्रार्थी ...

राजस्व वाद धोषणात्मक एंव राजस्व अभिलेखों में नाम संशोधन कराने हर प्रकार के लिखित एंव मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम व 136 भू. राजस्व अधिनियम

निर्णय

उपस्थित :–

1. किशनलाल भादू एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खातेदारी का खेत वाके रोही बम्बू में खेत खाता संख्या नया 167, पुराना 152 खेत खसरा नंबर 491 रकबा 2.5672 है0 व खसरा नंबर 494 रकबा 14.7710 है0 बा. अब्बल व बा. दोयम वादी पूसाराम के नाम संयुक्त खातेदारी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी के पिता के इंतकाल के पश्चात वारीसान् नामांतरणकरण के समय प्रार्थी के घर पर बोलने वाला नाम फूसाराम अंकित कर दिया जबकी प्रार्थी का वास्तविक नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक व पेन कार्ड के अनुसार दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड व सरकारी दस्तावेजों में नाम मिलान नहीं होने व भिन्नता होने के कारण राजस्व से संबंधित मिलने वाले सरकारी फायदों में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाकर खसरा नंबर 491 रकबा 2.5672 हैक्टेयर व खसरा संख्या 494 रकबा 14.7710 हैक्टेयर में अपना नाम मुताबिक सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक व पेन कार्ड के अनुसार पुसाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर प्रार्थी का नाम सही करवाने का प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रकार प्रार्थी का नाम मुताबिक सरकारी दस्तावेजों के राजस्व रेकार्ड में संशोधन करते हुए दर्ज करे आदि आदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 01 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। व गौंणअप्रार्थीण संख्या 1 ता 2 कि ओर से इकबाल जवाब दावा पेश किया गया। इस प्रकार प्रार्थी कि ओर से उक्त प्रार्थना पत्र/दावा का कोई विरोध व खिलाफ का जवाब पेश नहीं हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र/दावा को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र/दावा के समर्थन में मौखिक बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 491 रकबा 2.5672 हैक्टेयर व खसरा संख्या 494 रकबा 14. 7710 हैक्टेयर रोही ग्राम बम्बू जिसमें प्रार्थी के पिता कि मृत्यू के पश्चात विरासतन इन्तकाल दर्ज करते वक्त घर पर बोल चाल का नाम फूसाराम अंकित किया गया जो कि भूलवश गलत अंकन हो गया व प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजों में नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्व वाद धोषणात्मक एंव राजस्व अभिलेखों में नाम संशोधन कराने हर प्रकार के लिखित एंव मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम व 136 भू. राजस्व अधिनियम रेकार्ड दुरूस्ती का पेश किया। प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर मुताबिक आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक व पेन कार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड शुद्व करते हुए राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम पुसाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा अलग से अपने नाम में संशोधन का शपथ पत्र भी पेश किया गया। प्रार्थी रोही बम्बू के खसरा नंबर 491 रकबा 2.5672 हैक्टेयर व खसरा संख्या 494 रकबा 14.7710 हैक्टेयर का खातेदार है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विरासतन् इंतकाल दर्ज करते वक्त नाम सही दर्ज नहीं कीया। प्रार्थी का नाम सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक व पेन कार्ड के अनुसार फुसाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू की जगह सही नाम पुसाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान है तथा इसी प्रकार से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा/प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/दावा इस प्रकार स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि प्रार्थी की खातेदारी खेत रोही ग्राम बम्बू के खसरा नंबर 491 रकबा 2.5672 हैक्टेयर व खसरा संख्या 494 रकबा 14.7710 हैक्टेयर है जिसमें वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नाम फुसाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू को इस प्रकार संशोधित किया जावे कि प्रार्थी का नाम पुसाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे। आदेश कि पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 11-6-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर